

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-70/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० नीतू शर्मा, दंत चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढ़ौरा, सारण के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 20.12.2024 से 18.06.2025 तक को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

1	दिनांक 20.12.2024 से 17.06.2025 तक	- कुल 180(एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश।
2	दिनांक 18.06.2025 को	- असाधारण अवकाश।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-70/2025- 1101(2) पटना, दिनांक 21/10/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/डा० नीतू शर्मा, दंत चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढ़ौरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।